

परिपत्र संख्या-

पत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-2(10-11)-

1320/10/1054/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अक्टूबर 27, 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय - व्यापारियों द्वारा रुपपत्र 26 दाखिल करने हेतु दिनांक 31-10-2010 के बाद 90 दिन समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

दि उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसियेशन कानपुर ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 25-10-2010 तथा कई व्यापारिक संघों द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि व्यापारिक संघों द्वारा प्रान्त के अंचलों में माह सितम्बर -2010 में आयी बाढ़, पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया में व्यापारीगण, अधिवक्ता संघों व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के व्यस्त रहने के कारण अभी व्यापारियों के लेखों के आडिट पूर्ण नहीं हो पाये हैं जिसके कारण धारा 21(17) के आडिट रिपोर्ट के ई-मेल व हार्ड प्रति के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही भी नहीं हो पायी है। टैक्स आडिट आयकर अधिनियम की धारा 44 ए बी में आडिट कराये जाने हेतु उक्त समस्या के कारण आयकर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने आदेश संख्या-225/72/2010/आई टी ए दिनांक 27-9-2010 से 15 अक्टूबर 2010 तक के लिए समय बढ़ा दिया है। इन परिस्थितिजन्य कार्यों से वर्ष 2009-10 के लिए धारा 24(7) सपठित नियम 45(7) में प्राविधानित समय सीमा अर्थात् दिनांक 31-10-2010 तक रुपपत्र 26, 26ए व 26बी दाखिल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारक अधिकारी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं। कमिशनर वाणिज्य कर को नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) के अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। अतः नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए करदाताओं से बिना प्रार्थनापत्र प्राप्त किये ही कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 का वार्षिक रिटर्न रुपपत्र 26, 26ए व 26बी दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31-10-2010 की सीमा 90 दिन तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

26/10/10
(चन्द्र भानु)

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रूपपत्र सं 0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30 प्र 0
- (5) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, 30 प्र 0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि 0 अनु 0 शा 0), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य 0/वि 0 अनु 0 शा 0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।